




# रामपुर पुलिस



**गैंगस्टर के अभियोग में 04 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000-5,000/- रू0 अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-**


अवगत कराना है कि दिनांक 19.09.2007 को थाना गंज पर अभियुक्तों द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-1022/07 धारा- 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था।

पुलिस एवं अभियोजन के प्रयास के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 12.04.2024 को मा0 न्यायालय ADJ-03, रामपुर द्वारा अभि0गण 1.फरीद पुत्र मौ0 नवी नि0 किशनपुर चक्की थाना भोट, रामपुर, 2.बाबू टेलर पुत्र नवी अहमद, 3.वली अहमद पुत्र इनायत रसूल नि0गण काशीपुर थाना गंज रामपुर, 4.भोला पुत्र महीपाल नि0 भुर्जी की मडैय्या काशीपुर थाना गंज रामपुर को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000-5,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 @rampurpolice

 रामपुरपुलिस

 @rampurpolice

 @रामपुरपुलिस